रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229005
CG-DL-E-14082021-229005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3048] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
No. 3048] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3288(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववत पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) के अनुसरण में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केंद्रीय सरकार एतदद्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, गुजरात कहा गया है) का गठन निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए करती है, अर्थात् :

(1)	(2)	(3)
1.	श्री एच. के. दास, आईएएस (सेवानिवृत्त) प्लाट नं. 829, सेक्टर-08, गांधी नगर-382007	अध्यक्ष;
2.	प्रो. डॉ. विजय कुमार श्रीवास्तव drvks9@gmail.com	सदस्य;
3.	उप/संयुक्त/अपर सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

3. प्राधिकरण, गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, गुजरात इस मंत्रालय द्वारा तारीख 28 मई, 2020 के का.आ. 1682(अ) द्वारा पहले से गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (एसईएसी-2) की सिफारिशों के आधार पर अपना निर्णय लेगी।

5. प्राधिकरण, गुजरात की सहायता के प्रयोजन से उक्त राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (एसईएसी-2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, गुजरात कहा गया है) अधिसूचना संख्या का.आ. 1682(अ), तारीख 28 मई, 2020 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य करेंगी।

6. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और साथ ही किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य, अपने कार्य काल के दौरान प्राधिकरण, गुजरात द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाली किसी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना को तैयार करने में कोई परामर्श नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे;

(ग) यदि गत पांच वर्षों में प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की हों या ईआईए अध्ययन कराए हों तो ऐसी स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, गुजरात की बैठकों में स्वयं शामिल नहीं होंगे।

7. गुजरात सरकार, प्राधिकरण, गुजरात के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सचिवालय, उनके सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में आवासन, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार-तंत्र सहायता प्रदान करेगा।

8. प्राधिकरण, गुजरात के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक भत्ते, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान, गुजरात राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[फ. सं. जे-11013/23/2007-आईए.II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3288(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Gujarat (hereinafter referred to as the Authority, Gujarat) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Shri H K Dash, IAS (Retd) Plot No. 829, Sector-8, Gandhinagar-382007	Chairman;
2.	Professor Dr. Vijay Kumar Srivastava Drvks9@gmail.com	Member;
3.	Deputy/Joint/Additional Secretary (Environment), Government of Gujarat	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Gujarat shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Gujarat shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2) already constituted by the Ministry *vide* number S.O. 1682(E) dated 28th May, 2020.

5. For the purpose of assisting the Authority, Gujarat, the said SEAC-2 (hereinafter referred to as the SEAC, Gujarat) shall act according to provisions contain in the notification number S.O. 1682(E) dated 28th May, 2020.

6. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Gujarat during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Gujarat have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Gujarat in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

7. Government of Gujarat shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Gujarat and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

8. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall be paid as per the rules of the State Government of Gujarat.

[F. No. J-11013/23/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.14 13:52:32 +05'30'